312 (17) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्यमों द्वारा राज्य सरकार को राज्य विधान मंडलों में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना

संदर्भ: 1. जी आई नं. बी पी ई का 10 जुलाई, 1974 का का. ज्ञा. सं. 9(133)/73–बी पी ई (जीएम–II)

2. जी आई नं. बी पी ई का 26 अक्तूबर, 1988 का का. ज्ञा. सं. 16/41/87–जीएम

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्यालय ज्ञापन देखने का निदेश दिया गया है, जिसमें राज्य विधान मंडल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों द्वारा सामग्री प्रस्तुत किए जाने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इन दोनों दिशानिर्देशों को मिलाकर समेकित दिशानिर्देश जारी किए जाएं। नीति को लेकर यह प्रश्न उठाया गया कि राज्य विधान मंडल में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचना के संबंध में किए गए अनुरोधों को उत्तर देते समय सरकारी औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों को इसका पालन करना चाहिए। 1973–74 के दौरान संसदीय कार्य विभाग और विधि मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई।

2. यह विचार किया गया कि उद्यम राज्य सूची में आने वाले मामलों के संबंध में सूचनाएं सीधे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु जिन संवेदनशील मुद्दों के संबंध में, केन्द्र सरकार और संसद उत्तरदायी हैं, उन मदों के बारे में उद्यमों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे केन्द्र में आने वाले अपने प्रशासनिक मंत्रालयों से परामर्श करके राज्य सरकार को सूचना दें।

3. 4 जून, 1969 को संसद में इस मंत्रालय द्वारा लोक उद्यमों से संबंधित प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। ये दिशानिर्देश इस अनुरोध के साथ राज्य सरकारों को भेजे गए हैं कि वे अपने प्रधान अधिकारी से परामर्श करके समान दिशानिर्देश तैयार करें।

4. इसके अलावा वर्ष 1987–88 के दौरान विधि मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से समवर्ती सूची में आने वाले विषयों के संबंध में पालन की जाने वाली नीति पर भी गौर किया गया है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इन विषयों पर सूचना सीधे ही राज्य सरकारों को दे सकते हैं बशर्ते कि मांगी गई सूचना साधारण और तथ्यात्मक हो और उससे कोई विवाद पैदा न हो। ऐसी स्थिति में जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यह महसूस करते हैं कि मांगी गई सूचना संवेदनशील और गोपनीय स्वरूप की है तो उन्हें इसे राज्य सरकार/राज्य विधान मंडल/राज्य मंडल समिति को भेजने से पहले केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालय की सलाह/अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

5. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन दिशानिर्देश की अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सूचना दें और इनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

(डी पी ई का 10 फरवरी, 2005 का का. ज्ञा. सं. 42011/23/2004–प्रशा.जीएल–I)